संख्या-63/1011/78-1-2014-127आई0टी0/2014

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर,2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक नीति-2012 का कार्यान्वयन सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 16.00 करोड के उप मद में एकल खिडकी निस्तारण सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 करोड में से रू0 49.00 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी: 9064, दिनांक 01-08-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक नीति-2012 का कार्यान्वयन सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 16.00 करोड के उप मद में एकल खिडकी निस्तारण सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 करोड (रूपये एक करोड) में से रू0 49.00 लाख (रूपये उन्चास लाख) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेगें।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013 16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उद्योग निदेशक तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक "2852-उद्योग,07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग,202-इलेक्ट्रानिक्स,16-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी" मद के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर-2(9) में प्राप्त अधिकारों के अनतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव,

संख्या-63/1011(1)/78-1-2014 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, उ0प्र0 लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in